

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 20(101)/आयो/आकाशि/2012/ 812-13 दिनांक: 10.12.2012

प्राचार्य  
समस्त राजकीय महाविद्यालय  
राजस्थान

विषय :- माइक्रोस्कोप उत्पाद की खरीद के संबंध में

प्रसंग :- विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक एफ 20(101)15 /आयो/  
निकाशि/655 दिनांक 1.11.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयायन्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अध्याय -2 (सामान्य क्रय नियम) के परिशिष्ट 1 में माइक्रोस्कोप को सम्मिलित किया हुआ है। अतः निविदा विज्ञप्ति जारी करते समय उक्त आइटम आरक्षित की श्रेणी में रखा जावे।

पत्र में अंकित माइक्रोस्कोप व अन्य उपकरण के स्थान पर माइक्रोस्कोप को परिशिष्ट --1 में सम्मिलित पढा जावे।

उद्योग विभाग राजस्थान जयपुर के स्थान पर सम्बन्धित जिले का जिला उद्योग केन्द्र पढा जावे तथा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन में उत्पाद माइक्रोस्कोप लिखे होने पर ही माइक्रोस्कोप के लिये रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। जिला उद्योग केन्द्र के रजिस्ट्रेशन के अनुसार विभागीय Specification व वांछित क्वालिटी का माइक्रोस्कोप प्राप्त नहीं होने पर डी.जी.एस.एन्ड डी रेट का कन्ट्रैक्ट पर क्रय किया जा सकता है।

भवदीय

संयुक्त निदेशक

क्रमांक: एफ 20(101)/आयो/आकाशि/2012/ 812-13 दिनांक: 10.12.2012

प्रतिलिपि :-

- 1 वित्तीय सलाहकार कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
- 2 डा० धीरेन्द्र देवर्षि व्याख्याता कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

संयुक्त निदेशक